न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोहरू ......बनाम...... राज सरकार मु.नं.– 39/25 किस्म – दावा	

6.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने प्रा.पत्र बाबत अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 04.6.25 प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी, वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। पत्रावली पर नत्थी साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर ही वाद का निस्तारण कर दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.6.25 को पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

17.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र पर वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वाद पत्र को निर्णित किये जाने का निवेदन किया। वादी की बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत सहमति, तहसीलदार मण्डावर रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज मोहन बनाम राज.सरकार मु.नं.– 39/25 किस्म – दावा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने प्र.पत्र बाबत अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 04.6.25 प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी, वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। पत्रावली पर नत्थी साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर ही वाद का निस्तारण कर दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा) 17.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र पर वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वाद पत्र को निर्णित किये जाने का निवेदन किया। वादी की बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, विवादित आराजीयात के अन्य दस्तावेजों, तहसीलदार मण्डावर रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत सहमति, तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2025	07.04.2025	17.06.2025

बउनवान

मोहरू राम पुत्र छोटू राम, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

...वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..प्रतिवादी

उपस्थित

1. अभिभाषक वादीगण – श्री मधुसूदन सैनी।
2. प्रतिवादी – तहसीलदार मण्डावर।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 249 रकबा 0.64 हैक्टे., 250 रकबा 0.60 हैक्टे., 254 रकबा 0.67 हैक्टे,. 255 रकबा 0.05 हैक्टे., 237 रकबा 0.75 हैक्टे., 238 रकबा 0.20 हैक्टे., 342/611 रकबा 0.14 हैक्टे., 65 रकबा 0.58 हैक्टे., 66 रकबा 0.58 हैक्टे. कुल किता 9 रकबा 4.21 हैक्टे. स्थित ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा में है। विवादित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा जमाबंदी में मौजूद है। शेष 1/2 हिस्सा अन्य खातेदारान का है तथा इसी हिस्सानुसार काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात वादी की पैतृक भूमि है जो विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित आराजीयात पूर्व में वादी के पिता छोटूराम की खातेदारी में रही है। वादी के पिता छोटूराम का देहान्त होने पर उसके वारिस वादी के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया। वादी का सही नाम मोहरू राम है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा छोटूराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय मोहरू राम के बजाय महरू के नाम से ही नामान्तरकरण खोल दिया गया। विवादित आराजीयात के खातेदार वादी के पिता छोटूराम का देहान्त होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय बिना किसी प्रकार की जांच किये ही मोहरूराम पुत्र छोटूराम के बजाय महरू पुत्र छोटू के नाम से खोल दिया तथा उस नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल कर दिया गया तथा इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी में अमल हो रहा है। वादी का नाम गलत होने के कारण वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वादी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड व ग्राम पंचायत ऊकरूंद द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र भी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभ की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वादी दिनांक 01.04.2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना में दी जा रही 6000/- रूपये की योजना के बारे में पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल लेने गया तो पटवारी हलका ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में आपका नाम महरू है, मोहरू राम नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा बताने पर इस गलती का पता चला जिस पर वादी ने तहसीलदार मण्डावर से भूलवश अथवा सहवन से राजस्व रिकार्ड में हुये गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने अर्थात वादी का नाम महरू के बजाय मोहरू राम पुत्र छोटूराम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार मण्डावर ने दुरुस्ती करने से साफ इनकार कर दिया और न्यायालय से आदेश आने पर ही दुरूस्ती करने को कहा। जमाबंदी में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड रहा है तथा वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार करने के कारण यह दावा बाबत घोषणा खातेदार व इन्द्राज दुरूस्ती करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 01.04.2025 को वादी द्वारा तहसीलदार मण्डावर को विवादित आराजीयात में वर्णित आराजी में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने पर बेजा ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में वादकरण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 राज्य सरकार का विधिक प्रतिनिधि है जो लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिसके विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व 60 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेण्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिये धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा अन्य सहखातेदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात खसरा सं. 249, 250, 254, 255, 337, 338, 342/611, 65, 66 में वादी का नाम महरू के स्थान पर मोहरू राम पुत्र छोटूराम घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार मण्डावर को दिये जावे तथा इसी प्रकार का इन्द्राज समस्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार मण्डावर को नोटिस जारी किया गया। विवादित आराजीयात के अन्य सह खातेदारों लल्लूराम, भगवान सहाय, झब्बूराम पुत्रान श्री गिर्राज के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 23.04.2025 में कथन किया गया कि वे तथा वादी ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर के खाता संख्या 166 में खातेदार हैं जिसमे वादी अपना सही नाम मोहरूराम पुत्र छोटू राम दर्ज करवाना चाहता है जिसमें सह खातेदारों को कोई आपति नहीं है तथा वे सहमत हैं।

3. प्रतिवादी तहसीलदार मण्डावर ने रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 प्रस्तुत की कि खसरा सं. 249, 250, 254, 255, 337, 338, 342/611, 65, 66 वाके ग्राम नांगल सुमेर सिंह में वादी का नाम महरू पुत्र छोटू हि. 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। ग्रामवासियों से की गई जानकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुसार महरू पुत्र छोटू एवं मोहरू राम पुत्र छोटू एक ही व्यक्ति है एवं वादीगण का सही नाम मोहरुराम पुत्र छोटू है। वादी के दस्तावेजों में भी मोहरुराम पुत्र छोटू अंकित है।

4. दावा में वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी, वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। पत्रावली पर नत्थी साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर ही वाद का निस्तारण कर दिया जाये। बहस वादी सुनी गई। वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वादपत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, विवादित आराजीयात के अन्य सह खातेदारों लल्लूराम, भगवान सहाय, झब्बूराम पुत्रान श्री गिर्राज के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 23.04.2025, तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य संलग्न दस्तावेज यथा – वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक की पास बुक, राशन कार्ड का अवलोकन किया गया तथा वादी की बहस पर मनन किया। वादपत्र के जरिये चाहे गए अनुतोष बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में प्रावधान है कि :

88. अधिकार की घोषणा के लिए वाद– *(1) अभिधारी या सह–अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।*

(2) खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

(3) उप–अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरुद्ध इस घोषणा के लिए कि वह उप–अभिधारी है, वाद ला सकेगा।

(4) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूधारक, किसी जोत के अभिधारी या सह–अभिघारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

6. विवादित आराजीयात की जमाबंदी संवत 2074–2077 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में वादी का नाम महरू पुत्र छोटू हिस्सा–1/2 जाति–मीना सा. देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 में विवादित आराजीयात में वादी के नाम महरू पुत्र छोटू को शुद्ध किया जाकर मोहरुराम पुत्र छोटू को किया जाना उचित बताया है। विवादित आराजीयात के अन्य सह खातेदारों लल्लूराम, भगवान सहाय, झब्बूराम पुत्रान श्री गिर्राज के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 23.04.2025 में कथन किया गया कि वे तथा वादी ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर के खाता संख्या 166 में खातेदार है जिसमे वादी अपना सही नाम मोहरूराम पुत्र छोटूराम दर्ज करवाना चाहता है जिसमे सह खातेदारों कों कोई आपति नहीं है तथा वे सहमत हैं। पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेज यथा – वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक की पास बुक, राशन कार्ड में भी वादी का नाम मोहरू राम पुत्र छोटू राम दर्ज है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी के जमाबंदी में दर्ज नाम महरू पुत्र छोटू को दुरुस्त किया जाकर मोहरुराम पुत्र छोटूराम किया जाना उचित पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र संख्या 39/2025
मोहरू राम बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 17.06.2025

आदेश

7. दावा वादी डिक्री किया जाता है कि खाता सं. 166 खसरा सं. 249 रकबा 0.64 हैक्टे., 250 रकबा 0.60 हैक्टे., 254 रकबा 0.67 हैक्टे,. 255 रकबा 0.05 हैक्टे., 337 रकबा 0.75 हैक्टे., 338 रकबा 0.20 हैक्टे., 342/611 रकबा 0.14 हैक्टे., 65 रकबा 0.58 हैक्टे., 66 रकबा 0.58 हैक्टे. कुल किता 9 रकबा 4.21 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्ठी महरू पुत्र छोटू को दुरुस्त किया जाकर मोहरुराम पुत्र छोटूराम किया जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया ज़ाकर दिनांक 17.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र संख्या 39/2025
मोहरू राम बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 17.06.2025

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर

इजलास – अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

अनुवान – मोहरू राम बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 39/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री मधुसूदन सैनी, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई व तहसीलदार मण्डावर प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि खाता सं. 166 खसरा सं. 249 रकबा 0.64 हैक्टे., 250 रकबा 0.60 हैक्टे., 254 रकबा 0.67 हैक्टे,. 255 रकबा 0.05 हैक्टे., 337 रकबा 0.75 हैक्टे., 338 रकबा 0.20 हैक्टे., 342/611 रकबा 0.14 हैक्टे., 65 रकबा 0.58 हैक्टे., 66 रकबा 0.58 हैक्टे. कुल किता 9 रकबा 4.21 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्ठी महरू पुत्र छोटू को दुरुस्त किया जाकर मोहरुराम पुत्र छोटूराम किया जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2025 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	—	—	स्टाम्प अरजीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा......			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)